

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-रामजी लाल ताम्रकार

व्यवहार वाद क्रमांक 10ए/2014
प्रस्तुति दिनांक-03.11.2011

- 1- रेखलाल टेंभरे पिता उरकुड़, उम्र 58 वर्ष, जाति पवार,
निवासी कन्हड़गांव, तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 2- मालनबाई पति कान्हाजी पटले, उम्र 65 वर्ष। ----- (मृत)

वारिसान :-

- 2(क)-बिबनबाई पति बाबूलाल चौधरी, उम्र 43 वर्ष,
निवासी चीमाटोला तह0-जिला बालाघाट।
- 2(ख)-दिनेश पिता कान्हाजी पटले, उम्र 41 वर्ष,
निवासी देवरी, तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 3- लिलनबाई उर्फ चिंतनबाई पति चैनलाल ठाकरे, उम्र 62 वर्ष,
जाति पंवार, निवासी ग्राम खुटिया, तह0-जिला बालाघाट।

----- **वादीगण/अनावेदकगण।**

--:: बनाम ::--

- 1- उरकुड़ पिता गोविंद टेंभरे, उम्र 85 वर्ष, जाति पवार, ----- (मृत)
- 2- नेतलाल पिता उरकुड़ टेंभरे, उम्र 50 वर्ष, जाति पवार,
- 3- भिवराबाई पति भिकु, उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति पवार,
- 4- जियालाल पिता भिकु, उम्र लगभग 50 वर्ष, जाति पवार,
चारों निवासी कन्हड़गांव, तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 5- कमलाबाई पति राधेलाल, उम्र 58 वर्ष, जाति पवार,
निवासी पोर्टीटोला, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट।
- 6- प्रमिलाबाई पति सुरेश राहंगडाले, उम्र 35 वर्ष, पवार,
निवासी ग्राम केसलेवाड़ा, तहसील व जिला बालाघाट।
- 7- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय बालाघाट,
तहसील एवं जिला बालाघाट।
- 8- लक्ष्मीकांत टेंभरे पिता नेतलाल, उम्र 28 वर्ष, जाति पंवार,
निवासी ग्राम कन्हड़गांव, तहसील व जिला बालाघाट।

----- **प्रतिवादीगण/आवेदकगण।**

—:: आदेश ::—
(आज दिनांक 22/02/2018 को पारित)

01— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. जो कि दिनांक 23.1.2018 को प्रस्तुत किया गया था जो कि आई.ए.नंबर-1/18 है उसका निराकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण के द्वारा दिनांक 3.11.2011 को न्यायालय के समक्ष एक दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन का निराकरण दिनांक 25.11.2011 को किया गया। आदेशानुसार आवेदन स्वीकार योग्य न पाए जाने से निरस्त किया गया। इसी प्रकार पश्चात्पूर्ती क्रम में वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश दिनांक 2.9.2014 के मुताबिक निरस्त किया गया है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि इस मामले में प्रतिवादीगण द्वारा केवल जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावा के साथ कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

03— प्रतिवादी क्रमांक-2 की ओर से आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. (आई.ए.नंबर-1/18) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण की ओर से यह व्यवहार वाद वास्ते घोषणार्थ एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 के विरुद्ध वादग्रस्त खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.34 एकड़ ग्राम कन्हड़गांव, पटवारी हल्का नंबर-20, तहसील एवं जिला बालाघाट की भूमि का बंटवारा कर कब्जा पाना चाहते हैं तथा वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 25.11.2011 को पारित आदेशानुसार निरस्त हो चुका है जिसकी अपील वादीगण द्वारा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट के न्यायालय में की गई थी जो दिनांक 27.1.2012 को निरस्त हो चुकी है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के कब्जे में आज तक नहीं आए जबकि प्रतिवादी क्रमांक-2

विवादित भूमि पर वादीगण की जानकारी में रहते हुए अपने पिता के जीवनकाल से मालिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसमें वादीगण ने कोई दखलंदाजी नहीं की है। प्रतिवादी क्रमांक-2 के पिता उरकुड़ ने लक्ष्मीकांत पिता नेतलाल को अपने कब्जे व मालिकी की भूमि तीन लाख रुपए में बिक्री कर चुका है और विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-8 लक्ष्मीकांत ने राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और तब से प्रतिवादी क्रमांक-8 खसरा नंबर 102/1 में से 0.30 एकड़ भूमि पर कब्जे व मालिकी में होते हुए फसल प्राप्त करता चला आ रहा है।

04— प्रतिवादी क्रमांक-2 ने अपने आवेदन में आगे यह भी दर्शाया है कि वादपत्र में दर्शाई गई वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-2 के कब्जे व मालिकी में चली आ रही है तथा वह प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी फसल लगाया है परन्तु वादीगण दिनांक 22.6.2017 को दोपहर 2.00 बजे ट्रेक्टर द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 की अनुपस्थिति में जुताई कर धान की फसल का बीज बोकर चले गए तब प्रतिवादी क्रमांक-2 ने दिनांक 22.6.2017 को थाना प्रभारी ग्रामीण नवेगांव में वादी क्रमांक-1 के विरुद्ध रिपोर्ट किया किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे वादीगण के हौसले बुलंद हो चुके हैं और धमकी दे रहे हैं कि वे वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादी क्रमांक-2 का आवेदन प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में है क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक-2 वादग्रस्त भूमि के कब्जे व मालिकी में चले आ रहा है इस तरह सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। यदि वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावेगा तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। ग्राम कन्हड़ागांव में मृतक उरकुड़ के नाम पर उसके कब्जे व मालिकी की 0.44 डिसमिल भूमि है और मृतक उरकुड़ के जीवनकाल में ही उक्त भूमि का बंटवारा नहीं होने के पश्चात् भी वादीगण उक्त भूमि को लगातार कमा रहे हैं जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-2 का भी समान अधिकार है। उक्त भूमि सिंचित होने के कारण वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि को वादपत्र में नहीं दर्शाकर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी क्रमांक-2 का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त

वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.04 एकड़ में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दखल देने से निषेधित किया जावे।

05— वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुये आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त कथनों को अस्वीकार किया गया है तथा वास्तविक कथन में यह बताया है कि मौजा कन्हड़गांव, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील एवं जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.34 एकड़ भूमि स्थित है जो वादी क्रमांक—1 एवं 3 के पिता तथा वादी क्रमांक—2(क) व 2(ख) के आज्ञा (नाना) उरकुड़ के हिस्से में प्राप्त पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उरकुड़ का अकेले का नाम दर्ज होना था, परन्तु उरकुड़ के भाई भिकु का भी नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि भिकु ने अपने हिस्से की भूमि 1.35 एकड़ विक्रय कर दिया है। उक्त भूमि का कुल रकबा 2.69 एकड़ था, किन्तु भिकु का नाम नहीं कटने से भिकु के वारिसानों का भी नाम दर्ज चला आ रहा है जो प्रतिवादी क्रमांक—3 लगायत प्रतिवादी क्रमांक—6 हैं। मूल वाद के चलते वादीगण को नुकसान पहुंचाने की नीयत से प्रतिवादी क्रमांक—2 ने प्रतिवादी क्रमांक—1 उरकुड़ जो कि वृद्ध एवं असहाय था एवं उसमें सोचने-समझने की क्षमता नहीं थी, पर दबाव बनाकर अपने पुत्र लक्ष्मीकांत टेंभरे के नाम से 0.30 एकड़ भूमि का विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के जबरन निष्पादित करवा लिया, जबकि कथित उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के पूर्व ही वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि को विक्रय किए जाने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु न्यायालय द्वारा लीज पेंडेंसी का सिद्धान्त लागू होने से स्थगन के पक्ष में आदेश पारित नहीं किए गए, किन्तु यह स्पष्ट किया गया कि वाद चलते दौरान वादीग्रस्त भूमि अथवा उसका कोई अंश विक्रय किया जाता है तो ऐसा विक्रय पत्र उक्त सिद्धान्त के आधार पर शून्य होगा। इस तरह प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक—8 के पक्ष में 0.30 एकड़ वादग्रस्त भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय विलेख प्रथमतः शून्य है।

06— वादीगण ने अपने जवाब में आगे यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 उरकुड़ जब स्वस्थ था तब उसने अपने दोनों पुत्रों को कमाने-खाने के

लिए और उसका उपयोग उपभोग करने के लिए 0.44 एकड़ भूमि दिया था जिसे दोनों पुत्र कमाते थे, किन्तु छोटे रकबे के कारण खेती करने में असुविधा होने के चलते प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा अपने हिस्से की आधी भूमि अर्थात् 0.22 एकड़ भूमि का सौदा वादी क्रमांक-1 से कर उसका बाजार मूल्य पिता की सहमति से प्राप्त कर लिया था, किन्तु उसका पंजीयत विक्रय विलेख निष्पादित नहीं हो पाया इस कारण से उक्त 0.44 एकड़ भूमि पर वादी क्रमांक-1 स्वयं काबिज होकर पिछले 18-19 साल से स्वयं काशत कर रहा है। प्रकरण के चलते दौरान प्रतिवादी क्रमांक-1 उरकुड़ की मृत्यु दिनांक 24.1.2016 को हो चुकी है। उरकुड़ की 04 संतान रेखलाल (वादी क्रमांक-1), नेतलाल (प्रतिवादी क्रमांक-2), लिलनबाई उर्फ चितनबाई तथा मालनबाई हैं जिसमें से मालनबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा मालनबाई के वारिसान बिबन तथा दिनेश हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-2 का स्वामित्व व आधिपत्य है तथा चारों वारिसान अपने 1/4 अंश के हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि के सभी वारसानी हक के आधार पर संयुक्त रूप से काबिज होने के कारण संयुक्त स्वामित्व की भूमि पर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा न होकर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उरकुड़ के चारों वारिसानों का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में नहीं है और यदि सम्पूर्ण भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया गया तो वादीगण अपने हक एवं अधिकार से वंचित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं अत्यन्त असुविधा होगी। अतः वादीगण ने उक्त तीनों बिन्दु प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में न होने से प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

07— आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

- (1)— प्रथम दृष्टया वाद।
- (2)— सुविधा का संतुलन।
- (3)— अपूरणीय क्षति।

—:: विवेचन एवं निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

08— अब विचार यह करना है कि क्या बिना प्रतिदावा के प्रतिवादी क्रमांक—2 वादी के दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा सकता है। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक—2 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक—2 ने आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अधीन वादी के दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है। वैधानिक स्थिति के मुताबिक केवल आदेश 39 नियम 1(क) सी.पी.सी. के अधीन वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचायेगा या अन्य संक्रांत करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जायेगा। परन्तु इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक—2 ने आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है।

09— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—2 का कोई कारुण्टर क्लेम या प्रतिदावा नहीं है तो फिर यह अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी क्रमांक—2 का पक्ष प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान है या नहीं। प्रतिवादी क्रमांक—2 ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा एवं काश्त होना बताते हुए वादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है। अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में वाद कारण दिनांक 22.6.2017 को उत्पन्न होना बताया है। दिनांक 22.6.2017 के वाद कारण के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—2 का कोई प्रतिदावा नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम कन्हड़गांव, पटवारी हल्का नंबर—20 में स्थित भूमि खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.04 एकड़ भूमि के संबंध में कब्जे की सुरक्षा हेतु वादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है वह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। इस दावे में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.34 एकड़ है। उसी भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक—2 अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है। भूमि राजस्व अभिलेखों में उरकुड़ के अलावा जियालाल वगैरह के सम्मिलित खाते में दर्ज है तो फिर प्रतिवादी क्रमांक—2

के आवेदन के आधार पर खसरा नंबर 102/1 रकबा 1.04 एकड़ के संबंध में केवल प्रतिवादी क्रमांक-2 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक एक सह-स्वामी को दूसरे सह-स्वामी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। जहाँ वादीगण उरकुड़ के रास्ते से दावा कर रहे हैं वहीं प्रतिवादी क्रमांक-2 भी उरकुड़ का पुत्र है। दावा वादीगण ने पेश किया है तो फिर बिना किसी प्रतिदावा के प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

10— उपरोक्त विवेचन उपरांत विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक-2 का कोई प्रतिदावा नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक-2 का मामला प्रथम दृष्टया सबल एवं सारवान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी मुताबिक विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण किया गया।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 एवं 3 का निराकरण :-

11— उपरोक्त विवेचन उपरांत पाया गया कि दावा वादीगण के द्वारा पेश किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 का कोई काउण्टर क्लेम या प्रतिदावा नहीं है। भूमि जिसके संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराए जाने की प्रार्थना प्रतिवादी क्रमांक-2 द्वारा की गई है वह भूमि राजस्व अभिलेखों में केवल प्रतिवादी क्रमांक-2 के नाम पर दर्ज नहीं है वरन् उसमें अन्य सह-खातेदारों का नाम दर्ज है और तब जबकि प्रतिवादी क्रमांक-2 का मामला प्रथम दृष्टया प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में नहीं है तो फिर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति का बिन्दु पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

12— केवल सुविधा का संतुलन प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में है ऐसा दर्शित करने के लिए प्रतिवादी क्रमांक-2 के नाम भूमि दर्ज हो इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तो फिर सम्मिलित खाते की भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-2 को असुविधा होगी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार

अपूर्णय क्षति का सामना प्रतिवादी क्रमांक-2 को करना पड़ेगा ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

13— उपरोक्त विवेचन उपरान्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 व 3 के पक्ष में निष्कर्ष दिया जाता है कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णय क्षति का बिन्दु प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में नहीं है।

14— उपरोक्त विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रतिवादी क्रमांक-2 का कोई कारुण्टर क्लेम या प्रतिदावा नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना नहीं पाया गया है साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादी क्रमांक-2 के पक्ष में होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.सी.सी. का जो कि दिनांक 23.1.2018 को प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार योग्य न पाए जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / —

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
बालाघाट (म.प्र.)

सही / —

(रामजी लाल ताम्रकार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)